बिहार विधान-सभा, वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि ९ सितम्बर, १९६६ को पूर्वाह्न ९ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ ।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम "४" के परन्तुक के अन्तर्गत प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा की मेज पर रखा जाना ।

श्री मुंगेरी लाल—महाशय, में तृतीय बिहार विधान-सभा के द्वादश सत्र (फरवरी-अप्रील, १९६६) के शेष ११७६ तारांकित प्रश्नों में से ८७ प्रश्नों के* लिखित उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ ।

---

*उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखें ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।

दोषपूर्ण नोटिफिकेशन ।

२। श्री सुखलाल महतो—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(१) क्या यह बात सही है कि कोशी जब १९१७ ई० में पूर्णियाँ और सहर्षा बोर्डर से हटकर पश्चिम चली गई तब १९२६ ई० से १९३१ ई० के बीच कोशी दियारा का सर्वे हुआ और उसके बाद कोशी धार उधर नहीं गई है;

(२) क्या यह बात सही है कि कोशी लैन्ड रेस्टोरेशन ऐक्ट जो बना है उसका मंशा है कि १९३९ ई० से १९५० ई० के अन्दर जो जमीन कोशी उपद्रव के चलते जमींदारों ने नीलाम करा लिया उसे किसानों को वापस करा दिया जाग;

(३) क्या यह बात सही है कि कोशी लैन्ड रेस्टोरेशन ऐक्ट को लागू करने के लिये जो नोटिफिकेशन हुआ है वह दोषपूर्ण है जिसके चलते कोशी दियारा का सर्वे जहाँ हुआ है वहाँ भी वहाँ कानून लागू समझा जाता है जिसकी वजह से उक्त कानून की जो मंशा है उसकी अवहेलना हुई है और वहाँ की जनता के साथ अन्याय हुआ है ;

(५) सत्र १९६४-६५ में उक्त छात्र गोपालगंज कॉलेज के प्राक्-कला के छात्र थे। सारण जिले के अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिये १९६४-६५ में ६२० तथा १९६५-६६ में ४५७ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें १९६४-६५ सत्र में ८५ तथा १९६५-६६ सत्र में ५१ छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इन छात्रवृत्तियों को केंद्रीय छात्रवृत्ति समिति को सिफारिश प्राप्त कर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। छात्रों का चुनाव गरीबी-सह-योग्यता तथा छात्रों की पारिवारिक स्थिति आदि पर ध्यान देकर किया जाता है। केंद्रीय छात्रवृत्ति समिति ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन्हें छात्रवृत्ति देने की सिफारिश नहीं की। अब इन्हें १९६४-६५ तथा १९६५-६६ सत्रों के लिये छात्रवृत्ति दान करना संभव नहीं है।

छात्रवृत्ति की चुकती।

१२६१। श्री गुठली सिंह—क्या मंत्री, कल्याण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शाहाबाद जिलान्तर्गत सासाराम, रमा जैन उच्चांगल विद्यालय में सन् १९६५ में उषा कुमारी अष्ठम वर्ग में पढ़ती थी;

(२) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त छात्रा को सन् १९६५ में ७ रु० प्रतिमाह की दर से हरिजन छात्रवृत्ति सरकार द्वारा मंजूर की गई थी;

(३) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त छात्रा को अभी तक सन् १९६५ की हरिजन छात्रवृत्ति की रकम का भुगतान नहीं किया गया है;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त छात्रा को उपरोक्त अवधि का हरिजन छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है; यदि हां, तो कबतक और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री डुमर लाल बैठा—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उक्त छात्रा को सन् १९६५ में १० रु० प्रतिमाह की दर से छात्रावृत्ति की सिफारिश छात्रवृत्ति समिति ने दिनांक २०-२१ अक्तूबर, १९६५ की बैठक में की थी।

(३) उक्त छात्रा के आवेदन-पत्र में गत् परीक्षाफल का प्राप्तांक तथा अन्य विवरण नहीं दिये गये थे। अतः आवेदन-पत्र की स्थानीय जांच करानी पड़ी, जिससे भुगतान में विलम्ब हुआ है।

(४) छात्रा को छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने के लिये आवश्यक कार्रवाई की गई है।

स्टाइपेंड की चुकती।

१२६२। श्री सूरज प्रसाद—क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री रामाश्रय सिंह पौलिटेकनिक, राँची के १९६३से १९६५ तक विद्यार्थी थे;